न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 88 सन् 2015

1– श्री इस्माईल वयस्क पुत्र स्व0 लालू जी
2– श्री हाकिम वयस्क पुत्र स्व0 बाबू पुत्र स्व0 लालूजी
3– श्रीमति गंगा बैवा श्री अशराफ पुत्र स्व0 बाबू
4– श्रीमति जमना बैवा श्री समदा पुत्र स्व0 बाबू
5– श्री आरीफ वयस्क पुत्र स्व0 समदा पुत्र स्व0 बाबू
6– श्री फारूक वयस्क पुत्र स्व0 समदा पुत्र स्व0 बाबू
7– श्री इस्लाम उम्र करीबन 14 साल
8– श्री सारूख उम्र करीबन 9 साल
दोनो नाबालिगान पिसरान स्व0 समदा जरिये नेक्सट फ्रेन्ड वली कुदरती माता श्रीमति जमना बैवा स्व0 समदा
समस्त जाति मेरात निवासी ग्राम चौदसिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर

––––––वादीगण

बनाम

1– श्री रणजीत वयस्क पुत्र स्व0 लक्ष्मण
2– श्री शंकर वयस्क पुत्र स्व0 मोती
दोनो जाति रावतान निवासीयान ग्राम चौदसिया तहसील मसूदा
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, मसूदा
4– श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी महोदय, मसूदा
5– राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, अजमेर

–––––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 10.03.2021

संक्षिप्तः वादीगण ने अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि मौजा चौदसिया तहसील मसूदा में वर्णित खसरा नंबर 183 रकबा 00–19–00 किस्म बारानी–2 व खसरा नंबर 185 रकबा 00–19–00 किस्म तालाबी स्थित है, उक्त वादग्रस्त भूमियां स्व0 लक्ष्मण पुत्र मोती व श्रीमति रहीमी बैवा श्री मोती एंव मोहन आयु 13 साल व शंकर आयु 10 साल दोनो नाबालिगान पिसरान श्री मोती जरिये कुदरती वली श्रीमति रहीमी बैवा मोती समस्त वारीसान स्व0 मोती पुत्र कला जाति रावत निवासी चौदसिया तहसील मसूदा से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 27.6.1986 को सप्रतिफल देकर स्व0 बाबू व ईस्माईल पिसरान लालू जी जाति मेरात निवासी गांव चौदसिया तहसील ब्यावर ने खरीद की थी और उक्त भूमियो का कब्जा [illegible]0 बाबू व इस्माईल को सुपुर्द कर दिया इस प्रकार से उक्त दिनांक 27.6.[illegible] [illegible]क्त बाबू व इस्माईल खातेदार काश्तकार हो गये और उनके [illegible] में [illegible] खातेदार काश्तकार के कब्जे में चले आते रहे। वाद पत्र के पैरा नंबर 3 व 4 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या व 2 की वंशावली अंकित है। बाबू के गुजरने के बाद उ[illegible] वारीसान व इस्माई[illegible] कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आज दिवस तक चला आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा उनके पूर्वजो को कोई कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नही है। बाबू पुत्र लालू अनपढ ग्रामीण भोला भाला अगूंठा छाप व्यक्ति था तथा वादी इस्माईल भारतीय थल सेना में सन् 1964 से 1988 तक कार्यरत रहा जिसके कारण से दाखिल खारीज नही खुलवा सके।तथा वादीगण का कब्जा चला आने के कारण वे यही समझते रहे कि

..................लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 16:23:15 IST
Reason: SelfAttested

उनके नाम दाखिल खारीज खुल गया होगा। स्व0 मोती व उकसे वारीसान गांव छोडकर चले गये जिनका आज दिवस तक पता नही लगा दावा दायरी से एक साल पहले वादी संख्या 1 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अंधेरी देवरी तहसील मसूदा से ऋण लेने गया तब उसे जमाबंदी की नकल लाने के लिये कहा तब वादी संख्या 1 ने हल्का पटवारी से नकल लेने गया तब हल्का पटवारी ने कहां कि उक्त जमीन तुम्हारे नाम नही है, तब वादी ने उक्त बेचाननामा की फोटो कॉपी देकर दाखिल खारीज खोलने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने दाखिल खारीज नही खोल सकता न्यायालय से आदेश लाने पर ही खोला जा सकता है, इस प्रकार वादीगण को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि उक्त भूमिया उनके नाम दर्ज नही है तब वादीगण ने राजस्व रेकार्ड की नकले दिनांक 9.3.2015 तक प्राप्त कर यह दावा तैयार कर इस माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादीगण के हक में तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री पारीत की जाकर वादीगण को वादग्रस्त भूमियो का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है, उसे निरस्त किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण के चले आ रहे शांतिपूर्ण कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उपस्थित नही करे तथा वादग्रस्त भूमियो को बेचान हस्तांतरण आदि नही करे। खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सम्मन तामील होने के बावजूद भी उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में एकतरफा साक्ष्य वादीगण तलब की गई जिसमें वादी इस्माईल पुत्र लालू का शपथ पत्र पेश किया जिसने अपने वाद पत्र के कथनो की पुष्टि की गई। तथा गवाह सम्मा पुत्र हजारी व खाजू पुत्र रहमान का शपथ पत्र पेश किया जिसमें दोनो गवाहान ने वादीगण का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग होने एंव वादी इस्माईल के बयानो की पुष्टि की गई।

प्रकरण में एकतरफा बहस अंकित सुनी गई वकील वादीगण ने अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये दावा स्वीकार किये गये जाने का निवेदन किया गया।

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। वादीगण ने अपने वाद में कथन किया गया है, कि उक्त वादग्रस्त भूमियो को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 27.6.1986 के द्धारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वज द्धारा बेचान की गई है, तथा खरीद के रोज से वादीगण का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आज दिवस तक चला आ रहा है। जिसके समर्थन में वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2023 से 2026 में खसरा नंबर [illegible] मोती पुत्र [illegible] खातेदार दर्ज है, एंव खसरा नंबर 185 रहमान पुत्र भूरा शिकमी काश्तकार दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2041 में खसरा नंबर 183, 185 मोती पुत्र कला खातेदार दर्ज है, तथा इसी जमाबंदी में लाल स्याही से जरिये नामान्तरकरण संख्या [illegible] दिनांक 7.10.1977 एस0डी0ओ0 के आदेशानुसार मोती फोत इसके वारिसान शंकर, मोहन पिसरान मोती दर्ज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में खसरा नंबर 183, 185 रणजी पुत्र लक्ष्मण, शंकर, मोहन पिसरान मोती खातेदार दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार से फोटो कॉपी रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 27.6.1986 मे श्री लक्ष्मण पुत्र मोती, श्रीमति

..................लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 15:23:15 IST
Reason: SelfAttested

(मोहनलाल खटनावलिया)

रहीमी बैवा मोती, श्री मोहन नाबालिग पुत्र मोती, शंकर नाबालिग पुत्र मोती जरिये बसरबराई माता श्रीमति रहीमी बैवा मोती के द्धारा विवादित भूमिया खसरा नंबर 183 व 185 को बाबू इस्माईल पिसरान लालू को बेचान किया जाता व विवादित भूमियो का कब्जा दिया जाना अंकित पाया गया। वादीगण के गवाहान सम्मा व खाजू ने जो बयान प्रस्तुत किये गये है, उसमें भी वादीगण का कब्जा उपयोग उपभोग विवादित भूमियो पर होने का कथन किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 स्वीकार किया जाता है, कि मौजा चौदसिया तहसील मसूदा में वर्णित खसरा नंबर 183 रकबा 00–19–00 किस्म बारानी–2 व खसरा नंबर 185 रकबा 00–19–00 किस्म तालाबी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा जो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चले आ रहे उन्हें विलोपित किये जाने के आदेश पारीत किये जाते है, तहसीलदार मसूदा को आदेशित किया जाता है, कि उक्तानुसार पालना करावे। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि विवादित भूमियो को किसी भी अन्य व्यक्ति को बेचान हस्तांतरण आदि नही करे तथा वादीगण के चले आ रहे शांतिपूर्ण कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 15:23:15 IST
Reason: SelfAttested